भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2737**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों द्वारा अस्वीकृत वस्तुओं की संख्या

2737. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गुणवत्ता और उपभोग सुरक्षा के अभाव में विदेशों द्वारा अस्वीकृत वस्तुओं की संख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को गुणवत्ता और सुरक्षा के अभाव में भारतीय उत्पादों को अस्वीकृत और प्रतिबंधित करने वाले दूसरे देशों की संख्या की जानकारी है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ख): आयातक देशों द्वारा लगाए गए गुणवत्ता, फाइटोसैनिटरी मानकों, पैकेजिंग/लेबलिंग आदि सहित विभिन्न गैर-टैरिफ उपायों के कारण प्रत्येक देश को अस्वीकृति के ऐसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के साथ मानकों के संरेखण आदि सहित गुणवत्ता जागरूकता के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप आयातक देशों द्वारा अस्वीकृत भारतीय उत्पादों की संख्या जून 2024 की तुलना में जून 2025 में 12.50% कम हो गई है।

(ग) से (घ): आयातक देश समय-समय पर विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विभिन्न उत्पादों संबंधी अवशेष सीमा के संबंध में विनियम जारी करते रहते हैं। भारत से निर्यात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विनियमों की जानकारी निर्यातकों के बीच प्रसारित की जाती है। निर्यात निरीक्षण परिषद, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), अन्य कमोडिटी बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) आदि संबंधित एजेंसियां ऐसे अस्वीकृति मामलों की नियमित रूप से निगरानी करती हैं और निर्यातकों की क्षमता निर्माण, सख्त निर्यात-पूर्व नियंत्रण, उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण और हितधारकों को जागरूक करने सहित उचित सुधारात्मक और निवारक उपाय करती हैं ताकि आयातक देशों के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके।

******